[ए**.** एम**.** खानविलकर और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 324 और 84-हत्या-अस्वस्थ दिमाग की याचिका-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी ने कुछ लोगों पर दरांती से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई-अपीलार्थी ने हथियार फेंकने के बाद घटना स्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़ लिया गया-अपीलार्थी द्वारा मन की अस्वस्थता की याचिका-अवर न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया।302, 324 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:अपीलार्थी के पागलपन के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यह अन्वेषक का कर्तव्य था कि वह अभियुक्त की तुरंत चिकित्सा जांच करे और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करे-अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अपीलार्थी की मानसिक बीमारी की प्रकृति, हमले के समय उसकी मानसिक स्थिति, हमले के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता और उसकी गिरफ्तारी में बाधा, निदान और उपचार, और उपचार करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के संबंध में प्रासंगिक साक्ष्य को रोक दिया-नीचे दिए गए न्यायालयों ने उचित विचार और साक्ष्य की सराहना में गलती की, अपराध के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में संदेह पैदा करने वाले ऐसे सभी उपलब्ध साक्ष्यों को वस्तुतः त्याग दिया-इसके मद्देनजर, अपीलार्थी अपवाद यू/एस के लाभ का हकदार था।84 घटना के समय उसकी चिकित्सा स्थिति की प्रधानता के कारण-अभियोजन को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है और बरी हो जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1 P.W.14-sub** निरीक्षक ने अपने जाँच**-**इन**-**चीफ में कहा कि अपीलार्थी को हमला करने के तुरंत बाद पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया

गया।उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी।लेकिन अपीलार्थी को दो दिन बाद हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वह ठीक नहीं था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।उनकी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी

जी.

एच.

767 ए.

768 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 7 एस. सी. आर.

उसकी बहन या माँ को दिया जाता है, लेकिन केवल उसके दोस्त को दिया जाता है जिसकी जाँच नहीं की गई है।अपीलार्थी के पागलपन के पिछले इतिहास को देखते हुए, जैसा कि प्रकट किया गया है, यह एक ईमानदार अन्वेषक का कर्तव्य था कि वह अभियुक्त की तुरंत चिकित्सा जांच कराए और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह अभियोजन मामले में गंभीर दुर्बलता पैदा करता है और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।तत्काल मामले में स्वीकार किए गए तथ्य यह विश्वास करने के लिए दृढ़ता से राजी करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की मानसिक बीमारी की प्रकृति, हमले के समय उसकी मानसिक स्थिति, हमले के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता और उसकी गिरफ्तारी में बाधा, निदान और उपचार, उपचार करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के संबंध में जानबूझकर प्रासंगिक साक्ष्य को रोक दिया था, जो सभी आवश्यक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं जो अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में उचित संदेह से अधिक है।दुर्भाग्य से, निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभियोजन मामले में इस बहुत महत्वपूर्ण कमी पर विचार करने और चर्चा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो अपीलार्थी के अपराध के निर्धारण या त्याग के लिए निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है।**[**पैरा **9] [774-**ए**-**ई**] 1.2** कानून यह मानता है कि अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण है और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, हालांकि निर्दिष्ट परिस्थितियों में इसका खंडन किया जा सकता है।आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **84** में एक अपवाद दिया गया है, कि कोई कार्य अपराध नहीं होगा, यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो ऐसा करते समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या वह क्या कर रहा है या तो गलत है या कानून के विपरीत है।लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा **105** के तहत अभियुक्त पर यह दायित्व उतना कठोर नहीं है जितना कि अभियोजन पर सभी उचित संदेहों से परे स्थापित किया जाना है।अभियुक्त को केवल संभावना की प्रधानता पर अपने बचाव को स्थापित करना है, जिसके बाद अपवाद की अप्रयोज्यता को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर जिम्मेदारी स्थानांतरित होगी।लेकिन, यह मन की अस्वस्थता का हर और कोई अनुरोध नहीं है जो पर्याप्त होगा।लागू किए जाने वाले परीक्षण का मानक कानूनी पागलपन का होगा न कि चिकित्सा पागलपन का।**[**अनुच्छेद **10,11] [774-**ई**-**एफ**;**

775-सी-ई] **1.** मानसिक अस्वस्थता की प्रतिरक्षा याचिका पर विचार करने के लिए समय का महत्वपूर्ण बिंदु उस समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में होना चाहिए जब अपराध किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

769

देवदास लोका राथोड बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.

अपराध।यदि अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, घटना के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा होता है, तो वह उचित संदेह और परिणामी बरी होने के लाभ का हकदार होगा।**[**पारस **12,13] [775-**जी-एच**; 776-**सी-डी**]**

1.4 केवल इसलिए कि एक घायल गवाह, जिसे वैध रूप से स्पष्ट कारणों से एक इच्छुक गवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ने कहा होगा कि अपीलार्थी अस्वस्थ दिमाग का नहीं था, अभियोजन पक्ष के प्राथमिक कर्तव्य को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए दोषमुक्त नहीं कर सकता है, यह समझाते हुए कि आरोपी द्वारा मन की अस्वस्थता के लिए याचिका क्यों असमर्थनीय थी।**[**पैरा **14] [776-**ई-एफ**]**

बी.

सी.

1.5 ट्रायल विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड जेल में कई चिकित्सा यात्राओं को दर्शाते हैं, यहां तक कि साप्ताहिक रूप से, **12** की संख्या में, अपीलार्थी को डॉक्टर द्वारा दर्ज की गई धारणा के साथ मनोविकृति-रोधी दवाएं देना कि रोगी मनोविकृत है और उसे उपचार जारी रखने की आवश्यकता है।"निरंतरता" शब्दों के उपयोग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद बीमारी के संबंध में उपयोग किया गया है।इसके बाद, अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया कि वह मुकदमे का सामना करने के योग्य

नहीं है।एक नई चिकित्सा रिपोर्ट मांगी गई थी जिसके लिए राय दी गई थी कि अपीलार्थी मनोविकृतियों का एक पुराना रोगी था जिसका मूल्यांकन बार-बार मानसिक अस्पताल द्वारा किया गया है।इसके बाद, निचली विचारण न्यायालय ने उन्हें मानसिक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया और एक नई रिपोर्ट मांगी।अपीलार्थी को अन्य दवाओं के साथ ट्रिनिकलम फोर्टे/ट्रिनिकलम प्लस गोली भी निर्धारित की गई थी।**[**पैरा **15] [776-**एफ-एच**; 777-**ए-बी**]**

डी.

ई.

1.6 चिकित्सक ने अपदस्थ किया कि उसके पास अपीलार्थी के पिछले इतिहास के संबंध में कोई सामग्री नहीं है, कि इस तरह की जांच के समय उसका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था, और इसलिए वह अपीलार्थी के किसी भी पहले से मौजूद मानसिक विकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता था।अपीलार्थी की बहन डी. डब्ल्यू. **1** और उसकी माँ डी. डब्ल्यू. **2** ने कहा कि अपीलार्थी को कई बार बांधना पड़ता था और वह अपनी देखभाल करने में असमर्थ था, जिसमें उसके कपड़े भी शामिल थे।अभियोजन पक्ष ने गवाह द्वारा उल्लिखित एक इलाज करने वाले मनोचिकित्सक के तथ्य से इनकार नहीं किया।अपीलार्थी और उसका परिवार गरीब लोग थे और उनसे चिकित्सा दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने या विशेषज्ञ साक्ष्य का नेतृत्व करने की शायद ही उम्मीद की जा सकती थी।केवल इसलिए कि पाँच साल बाद गवाह के डिब्बे में गवाह

एफ.

जी.

एच.

हो सकता है कि यह कहा गया हो कि अभिरक्षा में अपीलार्थी के आचरण के संबंध में पुलिस की ओर से कोई शिकायत नहीं थी, विचारण न्यायाधीश ने अभिरक्षा में रहते हुए अपीलार्थी को प्रदान की जा रही दवा के किसी भी संदर्भ के बिना, न्यायालय में वर्तमान दोष और अपीलार्थी के वर्तमान आचरण की कसौटी पर परीक्षण करके घटना के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में अपने निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से गलती की।स्वाभाविक रूप से, यदि अपीलार्थी को अभिरक्षा के दौरान उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा था, तो समय के साथ उसकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा।**[**पारस **17,18] [778-**एफ-एच**; 779-**ए-बी**]**

बी.

1.7 विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य के उचित विचार और मूल्यांकन में गलती की**,** अपराध के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में संदेह पैदा करने वाले ऐसे सभी उपलब्ध साक्ष्यों को वस्तुतः त्याग दिया**,** ताकि उसकी दोषसिद्धि को एक पूर्व निष्कर्ष के रूप में छोड़ दिया जा सके।दुर्भाग्य से विचारण न्यायाधीश ने घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी के अस्पताल में भर्ती होने और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक सबूत क्यों नहीं रखे जाने के संबंध में आई**.** डी**. 1** को और सवाल पूछना आवश्यक नहीं समझा।इस प्रकार**,** विचारण न्यायाधीश ने अपने कर्तव्य में गलती की।अपीलीय न्यायालय का यह भी कर्तव्य था कि वह पी**.** डब्ल्यू**. 14** के नेतृत्व में साक्ष्य की प्रकृति और अपीलार्थी के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करे।दुर्भाग्य से**,** ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय ने भी आवश्यक तरीके से अभिलेखों में तल्लीन नहीं किया।**[**पारस **19,20] [779-**बी**-**डी**; 780-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

ई.

राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ और ओआरएस **[1997]**

1 एससीआर 199:(1997) 6 एस. सी. सी. 162; राम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 571-संदर्भित।

एफ.

1.8 अपीलार्थी इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संदेह पैदा करने में सक्षम रहा है कि वह आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **84** के तहत अपवाद के लाभ का हकदार है क्योंकि घटना के समय उसकी चिकित्सा स्थिति की प्रधानता**,** जैसा कि अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य से पता चलता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे स्थापित किया है।इसलिए अपीलार्थी संदेह के लाभ और परिणामस्वरूप बरी होने का हकदार है।**[**पैरा **21] [780-**डी**-**ई**]**

जी.

दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य [1964] 7 एस. सी. आर. 361; इलावरासन बनाम राज्य जिसका प्रतिनिधित्व ए.

एच.

देवदास लोका राथोड बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.

पुलिस निरीक्षक [2011] 10 एससीआर 1147:(2011) 7 एससीसी

110; दीपक कुमार बनाम रवि विरमानी और दूसरा **(2002)**

1 एससीआर 786:(2002) 2 एससीसी 737; बापू बनाम राजस्थान राज्य [2007] 7 एससीआर 917:(2007) 8 एससीसी 66;

दहियाभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य (1964) 7 एससीआर 361; सुरेंद्र मिश्रा बनाम गुजरात राज्य

बी.

झारखंड [2011] 1 एस. सी. आर. 133:(2011) 11 एससीसी 495;

राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम **[2011] 15** एससीआर **485:(2012) 1** एस**.** सी**.** सी**. 602;** रतन लाल बनाम मध्य राज्य

प्रदेश [1971] 3 एससीआर 251:(1970) 3 एससीसी 533;

विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[1990] 2** एससीआर **573:(1990)**

3 एस**.** सी**.** सी**. 190-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

सी.

[1964] 7 एससीआर **361**

पैरा **4 [2011] 10** एस**.** सी**.** आर**. 1147** पैरा **4 [2002] 1** एस**.** सी**.** आर**. 786** को संदर्भित

डी.

पैरा **6** को संदर्भित किया गया

[2007] 7 एससीआर **917**

पैरा **9** को संदर्भित पैरा **10**

[1964] 7 एससीआर **361**

[2011] 1 एससीआर **133**

पैरा **11 [2011] 15** एस**.** सी**.** आर**. 485** पैरा **11 [1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 25** को संदर्भित

ई.

पैरा **12** को संदर्भित किया गया

[1990] 2 एससीआर **573**

पैरा **13** को संदर्भित किया गया

[1997] 1 एससीआर **199**

पैरा **19** को संदर्भित किया गया है

एफ.

(2002) 4 एस**.** सी**.** सी**. 571**

पैरा **20** को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2017 की आपराधिक अपील संख्या 814।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2014 से, 2011 की आपराधिक अपील संख्या 360 में नागपुर की पीठ।

जी.

सुश्री अपर्णा झा, ब्रज किशोर मिश्रा और सुश्री एम. पी. सहाय, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एच.

772

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 7 एस सी आर।

श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा, जे. 1.अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 302 और 324 के तहत अपनी दोषसिद्धि का दावा करता है, अपने बचाव को खारिज करते हुए कि वह अस्वस्थ दिमाग का था।

बी.

2. 26.09.2006 की सुबह, अपीलार्थी ने अचानक लोहे के लोहार की दुकान के फर्श से एक दरांती उठाई और गुलाब पवार (P.W.11) पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जिससे संतोष जाधव (पी. डब्ल्यू. 5) के जबड़े और गाल पर चोट लग गई और उनके कंधे पर एक और झटका लगा।उसी दिन, बाद में उसने उल्हास राठौर (पीडब्लू. 3) पर उसकी पीठ और गर्दन पर

हमला किया और मृतक हरीश चंद्र चौहान की पीठ और पेट पर वार किए, जब बाद वाले ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की।अपीलार्थी ने तब भागने की कोशिश की, दरांती को रास्ते में फेंक दिया, जब उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

सी.

डी.

3. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला ने डॉ. सागर श्रीकांत चिद्दलवार (सी. डब्ल्यू. 1) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपर्याप्त सबूत का हवाला देते हुए बचाव पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी मानसिक रूप से बीमार नहीं था और मुकदमे का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं था।हिरासत में रहते हुए अपीलार्थी के बाद के आचरण, मुकदमे के दौरान उसके आचरण पर आगे यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा किया गया कि अपीलार्थी अपने गलत कार्यों के बारे में सचेत था जो जानबूझकर किए गए थे, जो बार-बार किए गए हमलों और दरांती फेंकने के बाद घटना स्थल से भागने से स्पष्ट होता है।उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

ई.

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित सुश्री अपर्णा झा ने आग्रह किया कि किसी भी पुरुष कारण के अभाव में, आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषसिद्धि की जाए।

एफ.

अस्थिर, दहियाभाई छगनभाई ठक्कर बनाम राज्य पर निर्भर।

1964 (7) एस. सी. आर. 361।इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की मानसिक अस्वस्थता के संबंध में मनकरन चव्हाण (डी. डब्ल्यू. 1) और गोगरबाई राठौड़ (डी. डब्ल्यू. 2) के साक्ष्य की उचित रूप से सराहना नहीं की गई है और गलत तरीके से अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया गया है।अपीलार्थी एक बहुत ही गरीब परिवार से था और उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे उसका मेडिकल रिकॉर्ड और पर्चे सावधानीपूर्वक रखेंगे।बचाव पक्ष के गवाहों ने गवाही दी थी कि अपीलार्थी अकोला में डॉ. केलकर के इलाज के तहत था। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत मन की अस्वस्थता के लिए एक प्रशंसनीय बचाव के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे।

जी.

एच.

संभाव्यता की प्रधानता पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के साथ।अभियोजन पक्ष खंडन में कोई सबूत देने में विफल रहा, क्योंकि

जो निर्भरता इलावरासन बनाम राज्य पर रखी गई थी

पुलिस निरीक्षक**, 2011 (7)** एस**.** सी**.** सी **110**।अतः दोषसिद्धि अनुचित थी और अपीलार्थी बरी होने का हकदार था।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री कटनेश्वरकर ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि अपीलार्थी संभावना पर मन की अस्वस्थता के लिए प्रथम दृष्टया एक मामला स्थापित करने में विफल रहा है।ट्रायल जज ने समय-समय पर मेडिकल रिपोर्ट मंगाने और न्यायालय में अपने आचरण को ध्यान में रखने के अलावा अपीलार्थी की अपना बचाव करने की क्षमता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती थी।बार-बार हमले करने, घटना स्थल से भागने, दरांती को रास्ते में फेंकने में अपीलार्थी का आचरण, उसके द्वारा जानबूझकर किए गए अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था, जो मन की अस्वस्थता के बचाव के साथ असंगत था।

बी.

सी.

6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।आम तौर पर, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दो न्यायालयों द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, जैसा कि संविधान में भी कहा गया है।

डी.

दीपक कुमार बनाम रवि विरमानी और दूसरा, 2002 (2) एस. सी. सी. 737।

लेकिन यह उचित मामलों में न्याय के हित में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से नहीं रोकता है, यदि यह साक्ष्य की प्रकृति और इसकी सराहना या गैर-प्रशंसा के बारे में कोई संदेह रखता है।इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, और बहुत कुछ किसी मामले के तथ्यों में न्याय की अवधारणा पर निर्भर करेगा, जो रिकॉर्ड पर स्वीकार्य साक्ष्य की प्रकृति के साथ जुड़ा होगा।

ई.

7. घायल गवाहों सहित अभियोजन पक्ष ने निस्संदेह इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी अस्वस्थ दिमाग का था।लेकिन पुलिस उप-निरीक्षक चंदूसिंह मोहनसिंह चव्हाण (P.W.14) के साक्ष्य ने अपीलार्थी की चिकित्सा रिपोर्टों के संदर्भ के साथ मिलकर हमें खुद निचली विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों की जांच करने के लिए राजी किया ताकि हमें यह संतुष्ट किया जा सके कि सभी साक्ष्यों की उचित और पूर्ण सराहना की गई थी और यह कि निष्कर्ष प्रासंगिक

सामग्रियों पर विचार न करने से विकृत या अस्पष्ट नहीं थे, ताकि अंततः न्याय हो सके।8. यह कि अपीलार्थी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, पी. डब्ल्यू. 14 द्वारा स्थापित किया गया है, और जिसके परिणामस्वरूप जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अकोला और उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी कानूनी सहायता प्रकोष्ठ द्वारा उसकी रक्षा के लिए उसे कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ी।

एफ.

जी.

एच.

9. P.W.14 ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा कि अपीलार्थी को 26.09.2006 पर हमला करने के तुरंत बाद पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया।उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी।लेकिन अपीलार्थी को केवल 28.09.2006 पर हिरासत में लिया गया था क्योंकि वह ठीक नहीं था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनकी बहन या मां को नहीं दी गई थी, बल्कि केवल उनके दोस्त नागोराव बाघे को दी गई थी, जिनसे पूछताछ नहीं की गई है।अपीलार्थी के पागलपन के पिछले इतिहास को देखते हुए, जैसा कि प्रकट किया गया है, यह एक ईमानदार अन्वेषक का कर्तव्य था कि वह अभियुक्त की तुरंत चिकित्सा जांच कराए और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह अभियोजन मामले में एक गंभीर दुर्बलता पैदा करता है और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, जैसा कि बापू बनाम राजस्थान राज्य, (2007) 8 एस. सी. सी. 66 में देखा गया है।वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्य हमें यह विश्वास करने के लिए दृढ़ता से राजी करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की मानसिक बीमारी की प्रकृति, हमले के समय उसकी मानसिक स्थिति, हमले के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता और उसकी गिरफ्तारी में बाधा, निदान और उपचार, उपचार करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के संबंध में जानबूझकर प्रासंगिक साक्ष्य को रोक दिया है, जो सभी आवश्यक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं जो अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में उचित संदेह से अधिक है।दुर्भाग्य से, निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, अभियोजन मामले में इस बहुत महत्वपूर्ण कमी पर विचार करने और चर्चा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो अपीलार्थी के अपराध के निर्धारण या त्याग के लिए निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है।

बी.

सी.

डी.

ई.

10. कानून निस्संदेह यह मानता है कि अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण है और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, हालांकि निर्दिष्ट परिस्थितियों में इसका खंडन किया जा सकता है।पागलपन की दलील के संदर्भ में सबूत के बोझ के सिद्धांत को दह्याभाई छगनभाई में इस प्रकार कहा गया था

एफ.

ठक्कर बनाम गुजरात राज्य, (1964) 7 एससीआर 361:

"(1) अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने अपेक्षित पुरुष कारण के साथ अपराध किया था, और यह साबित करने का बोझ हमेशा मुकदमे की शुरुआत से अंत तक अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है।

जी.

(2) एक खंडन योग्य धारणा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 द्वारा निर्धारित अर्थों में, जब आरोपी ने अपराध किया था, वह पागल नहीं था:अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्य मौखिक, दस्तावेजी ए पेश करके इसका खंडन कर सकता है।

एच.

या परिस्थितिजन्य, लेकिन उस पर सबूत का बोझ उससे अधिक नहीं है जो दीवानी कार्यवाही के पक्षकार पर निर्भर करता है।

(3) भले ही अभियुक्त यह निर्णायक रूप से स्थापित करने में सक्षम न हो कि अपराध करने के समय वह पागल था, अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया साक्ष्य अभियुक्त के पुरुष अधिकार सहित अपराध के एक या अधिक घटकों के संबंध में न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा कर सकता है और उस मामले में न्यायालय अभियुक्त को इस आधार पर बरी करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य का सामान्य बोझ नहीं छोड़ा गया था।"

बी.

11. आई. पी. सी. की धारा 84 में एक अपवाद दिया गया है, कि कोई कार्य अपराध नहीं होगा, यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो ऐसा करते समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या वह जो कर रहा है वह या तो गलत है या कानून के विपरीत है।लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत अभियुक्त पर यह दायित्व उतना कठोर नहीं है जितना कि अभियोजन पर सभी उचित संदेहों से परे स्थापित किया जाना है।अभियुक्त को केवल संभावना की प्रधानता पर अपने बचाव को स्थापित करना है, जैसा कि सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य, (2011) 11 एस. सी. सी. 495 में देखा गया है, जिसके बाद अपवाद की अप्रयोज्यता को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर जिम्मेदारी स्थानांतरित होगी।लेकिन, यह मन की अस्वस्थता का हर और कोई अनुरोध नहीं है जो पर्याप्त होगा।लागू किए जाने वाले परीक्षण का मानक कानूनी पागलपन का होगा न कि चिकित्सा का।

सी.

डी.

ई.

पागलपन, जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम, (2012) 1 में देखा गया है

एस. सी. सी. 602 निम्नानुसार हैः“19. .....एक बार जब कोई व्यक्ति मानसिक विकार या मानसिक कमी से पीड़ित पाया जाता है, जो उचित दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सभी प्रासंगिक समय पर मतिभ्रम, मनोभ्रंश, स्मृति हानि और आत्म-नियंत्रण के दायरे में आता है, तो संबंधित व्यक्ति आपराधिक दायित्व से सामान्य अपवादों का सहारा लेने का हकदार होगा।”

एफ.

12. मानसिक अस्वस्थता के बचाव पक्ष की याचिका पर विचार करने के लिए समय का महत्वपूर्ण बिंदु आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में होना चाहिए जब अपराध किया गया था, उस आचरण के साक्ष्य से जो अपराध से पहले, उपस्थित होने और उसके बाद देखा गया था।

जी.

रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1970) 3 एस. सी. सी. 533 में

निम्नलिखित हैः

एच.

“2. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जिस महत्वपूर्ण समय पर मानसिक अस्वस्थता स्थापित की जानी चाहिए, वह समय है जब अपराध वास्तव में किया जाता है और आरोपी पर इस संबंध को साबित करने का बोझ होता है।डी. जी. ठक्कर बनाम गुजरात राज्य में यह निर्धारित किया गया था कि "एक खंडन योग्य धारणा है कि अभियुक्त पागल नहीं था, जब उसने अपराध किया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 द्वारा निर्धारित अर्थों में, अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्य-मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य-पेश करके इसका खंडन कर सकता है, लेकिन उस पर सबूत का बोझ उस से अधिक नहीं है जो दीवानी कार्यवाही के लिए एक पक्ष पर निर्भर करता है।"

बी.

सी.

13. यदि अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, घटना के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा होता है, तो वह उचित संदेह और परिणामी बरी होने के लाभ का हकदार होगा, जैसा कि विजय में देखा गया है।

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1990) 3 एस. सी. सी. 190।

डी.

14. अब हम यह जांचने के लिए अन्य चिकित्सा और बचाव साक्ष्य की पर्याप्तता पर विचार करेंगे कि क्या संभावना की अधिकता पर हमला करने के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में एक उचित संदेह पैदा किया गया है, साथ ही P.W.14 के साक्ष्य पर विचार करने की पूरी कमी है। केवल इसलिए कि एक घायल गवाह, जिसे वैध रूप से स्पष्ट कारणों से एक इच्छुक गवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ने कहा होगा कि अपीलकर्ता अस्वस्थ दिमाग का नहीं था, अभियोजन पक्ष के प्राथमिक कर्तव्य को सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए दोषमुक्त नहीं कर सकता है, यह समझाते हुए कि आरोपी द्वारा की गई अस्वस्थता की याचिका क्यों असमर्थनीय थी।

ई.

15. आरोपी को 28.09.2006 पर हिरासत में लिया गया था।आरोप पत्र 29.12.2006 पर जमा किया गया था और प्रतिबद्धता 16.02.2007 पर की गई थी। विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड जेल में कई चिकित्सा यात्राओं को दर्शाते हैं, यहां तक कि साप्ताहिक रूप से, संख्या में 12,09.01.2007 से 07.04.2007 की अवधि के बीच, डॉक्टर द्वारा दर्ज की गई धारणा के साथ अपीलार्थी को टैबलेट हैलोपरिडोल और टैबलेट ओलान्ज़ापाइन और टैबलेट डायज़ेपाम जैसी मनोविकृति-रोधी दवाओं का प्रशासन कि रोगी मनोविकृत है और उसे उपचार जारी रखने की आवश्यकता है।"निरंतरता" शब्दों के उपयोग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद बीमारी के संबंध में उपयोग किया गया है

और जिसमें 26.09.2006 से 28.09.2006 तक की अवधि शामिल है।03.05.2007 पर, अपीलार्थी की ओर से कोड ऑफ ए के अध्याय-XXV के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

777

देवदास लोका राथोड बनाम महाराष्ट्र राज्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

आपराधिक प्रक्रिया कि वह मुकदमे का सामना करने के योग्य नहीं था।14.06.2007 पर एक नई चिकित्सा रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें 19.06.2007 पर राय दी गई थी कि अपीलार्थी मनोचिकित्सकों का एक पुराना रोगी था जिसका मूल्यांकन नागपुर के मानसिक अस्पताल, अकोला के वर्तमान चिकित्सक और मनोचिकित्सक द्वारा भी बार-बार किया गया है। 13.07.2007 पर, विचारण न्यायालय ने उन्हें मानसिक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया और एक नई रिपोर्ट मांगी।11.04.2008 पर, नई रिपोर्ट मांगी गई और अपीलार्थी को अन्य दवाओं के साथ ट्रिनिकलम फोर्टे टैबलेट/ट्रिनिकलम प्लस टैबलेट निर्धारित किया गया।इलाज कर रहे डॉक्टर डॉ. प्रमोद ठाकरे ने 20.05.2009 पर लिखित रूप में निम्नलिखित राय दीः

बी.

“1) ऊपर नामित कैदी अज्ञात अवधि से मानसिक बीमारी (मनोविकृति) से पीड़ित है।सरकार से जुड़े कई मनोचिकित्सकों द्वारा उनका इलाज और जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अकोला जनवरी 2008 से जेल में विशेषज्ञों के दौरे के दौरान।

सी.

2) इस कैदी ने आत्महत्या की प्रवृत्ति, आक्रामक व्यवहार, नींद में गड़बड़ी, खराब संचार और कभी-कभी अनियमित व्यवहार दिखाया।3) जनवरी 2008 से आज तक उनका विभिन्न मनोविकृति-रोधी दवाओं से इलाज किया जा रहा था।

डी.

.....वर्तमान में वह मनोविकृति-रोधी दवाओं के साथ नियंत्रण में है और अभी भी दवाओं पर रखा गया है।आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें आगे की जांच और विशेषज्ञ की राय के लिए नागपुर के मानसिक अस्पताल भेजा जा सकता है।”

ई.

16. अपीलार्थी की बीमारी की प्रकृति और आवश्यक उपचार की प्रकृति के साथ इसके संबंध को उचित रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है:• हेलोपेरिडोल का उपयोग कुछ मानसिक/मनोदशा विकारों (जैसे, सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोएफ़ेक्टिव विकार) के इलाज के लिए किया जाता है।यह दवा आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, कम घबराहट महसूस करने और रोजमर्रा की जिंदगी में भाग लेने में मदद करती है।यह उन लोगों में आत्महत्या को रोकने में भी मदद कर सकता है जिनके खुद को नुकसान पहुँचाने की संभावना है।यह आक्रामकता और दूसरों को चोट पहुँचाने की इच्छा को भी कम करता है।यह नकारात्मक विचारों और मतिभ्रम को कम कर सकता है।

एफ.

जी.

• ओलान्ज़ापाइन एक मनोविकृति-रोधी दवा है जो मस्तिष्क में रसायनों को प्रभावित करती है। ओलान्ज़ापाइन का उपयोग सिज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार (उन्मादी अवसाद) जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियों के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है।

एच.

• डायजेपाम का उपयोग चिंता, शराब छोड़ने और दौरे के इलाज के लिए किया जाता है।इसका उपयोग मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देने और चिकित्सा प्रक्रियाओं से पहले शामक प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।यह दवा मस्तिष्क और नसों को शांत करके काम करती है। डायजेपाम बेंज़ोडायज़ेपींस के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है।

बी.

• ट्रिनिकलम फोर्टे टैबलेट तीन दवाओं का एक संयोजन है:क्लोरप्रोमाज़िन, ट्राइहेक्सीफेनिडाइल और ट्राइफ्लूओपेराज़िन।क्लोरप्रोमाज़िन एक विशिष्ट मनोविकाररोधी है।यह मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेशवाहक डोपामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है जो विचारों और मनोदशा को प्रभावित करता है।ट्राइहेक्सीफेनिडाइल एक चींटी कोलिनर्जिक है जो तंत्रिका तंत्र पर काम करता है और मनोविकृति-रोधी उपचार के दौरान होने वाले कुछ दुष्प्रभावों को ठीक करता है।ट्राइफ्लूओपेराज़िन एक विशिष्ट मनोविकृति-रोधी है।यह मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेशवाहक डोपामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है जो विचारों और मनोदशा को प्रभावित करता है।

सी.

• ट्रिनिकलम प्लस 5 मिलीग्राम/2 मिलीग्राम टैबलेट दो दवाओं का एक संयोजन है:ट्राइफ्लूओपेराज़िन और ट्राइहेक्सीफेनिडाइल।ट्राइफ्लूओपेराज़िन एक विशिष्ट मनोविकृति-रोधी है। यह मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेशवाहक (डोपामाइन) की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है जो विचारों और मनोदशा को प्रभावित करता है।हालाँकि, यह अनैच्छिक आंदोलनों (हाथ हिलाना, मांसपेशियों में ऐंठन) जैसे दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है।इन दुष्प्रभावों के इलाज और रोकथाम के लिए ट्राइहेक्सीफेनिडाइल जोड़ा जाता है।17. सी. डब्ल्यू. 1 की बचाव पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू. 3 के रूप में भी जांच की गई और अपदस्थ किया गया कि उसके पास अपीलार्थी के पिछले इतिहास के संबंध में कोई सामग्री नहीं थी, कि इस तरह की जांच के समय उसका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था, और इसलिए वह अपीलार्थी के किसी भी पहले से मौजूद मानसिक विकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता था।

डी.

ई.

एफ.

18. अपीलार्थी की बहन डी. डब्ल्यू. 1 और उसकी माँ डी. डब्ल्यू. 2 ने कहा था कि अपीलार्थी को कई बार बांधना पड़ता था और वह अपनी देखभाल करने में असमर्थ था, जिसमें उसके कपड़े भी शामिल थे।अभियोजन पक्ष ने गवाह द्वारा उल्लिखित डॉ. केलकर के नाम से अकोला में एक इलाज करने वाले मनोचिकित्सक के तथ्य से इनकार नहीं किया।अपीलार्थी और उसका परिवार गरीब लोग थे और रतन लाल (उपरोक्त) में देखे गए चिकित्सा दस्तावेजों या प्रमुख विशेषज्ञ साक्ष्य को सावधानीपूर्वक संरक्षित करने की शायद ही उम्मीद की जा सकती थी। केवल इसलिए कि पांच साल बाद गवाह बॉक्स में गवाह ने कहा होगा कि हिरासत में अपीलार्थी के आचरण के संबंध में पुलिस की ओर से कोई शिकायत नहीं थी, ट्रायल जज ने अपने निष्कर्ष ए में स्पष्ट रूप से गलती की

जी.

एच.

779

देवदास लोका राथोड बनाम महाराष्ट्र राज्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

घटना के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में, न्यायालय में वर्तमान अपराध की कसौटी पर इसका परीक्षण करके और अपीलार्थी के वर्तमान आचरण के संबंध में, उस दवा के किसी भी संदर्भ के बिना जो हिरासत में रहते हुए अपीलार्थी को प्रदान की जा रही थी।

स्वाभाविक रूप से, यदि अपीलार्थी को अभिरक्षा के दौरान उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा था, तो समय के साथ उसकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

बी.

19. विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य के उचित विचार और मूल्यांकन में गलती की, अपराध के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में संदेह पैदा करने वाले ऐसे सभी उपलब्ध साक्ष्यों को वस्तुतः त्याग दिया, ताकि उसकी दोषसिद्धि को एक पूर्व निष्कर्ष के रूप में छोड़ दिया जा सके।दुर्भाग्य से विचारण न्यायाधीश ने घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी के अस्पताल में भर्ती होने और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक सबूत क्यों नहीं रखे जाने के संबंध में आई. डी. 1 को और सवाल पूछना आवश्यक नहीं समझा।इसलिए सच्चाई मायावी बनी रही, और इस प्रकार न्याय एक दुर्घटना बन गया।इसलिए विचारण न्यायाधीश ने अपने कर्तव्य में त्रुटि की, जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 162 में निम्नानुसार कहा गया हैः

सी.

डी.

“12. कई परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन मुकदमे के दौरान एक न्यायाधीश का मूक रहना एक आदर्श स्थिति नहीं है।एक मौन न्यायाधीश जनता के दिमाग में कैरिकेटेड मॉडल हो सकता है।लेकिन मुकदमे के दौरान उसके सक्रिय या गतिशील होने में कुछ भी गलत नहीं है ताकि आपराधिक न्याय अंत में प्राप्त किया जा सके।आपराधिक मुकदमा दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच एक बाउट या लड़ाई के रूप में नहीं होना चाहिए, जिसमें न्यायाधीश केवल एक दर्शक या यहां तक कि एक अंपायर की भूमिका निभाता है जो अंत में यह घोषित करता है कि दौड़ कौन जीता।एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेगा, उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा जो वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है।मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या सत्य को उजागर करने के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी गवाहों से सवाल पूछने की उनकी शक्ति में कोई बाधा नहीं है।इसका परिणाम यह है कि यदि किसी न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह ने कोई त्रुटि या चूक की है तो यह पता लगाना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या ऐसा था, क्योंकि गलती करना मानवीय है और जिरह के दौरान घबराहट के तनाव में गलती की संभावना बढ़ सकती है।आपराधिक न्याय साक्ष्य-संग्रह प्रक्रिया के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर आधारित नहीं होना चाहिए।ट्रायल जज के लिए सक्रिय और सतर्क रहना एक उपयोगी अभ्यास है ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके।”

ई.

एफ.

जी.

20. अपीलीय न्यायालय का यह भी कर्तव्य था कि वह P.W.14 के नेतृत्व में साक्ष्य की प्रकृति और अपीलार्थी के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करे।दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय ने भी आवश्यक तरीके से अभिलेखों में तल्लीन नहीं किया,

जैसा कि राम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी.

571

बी.

"(4) ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक आपराधिक अपील में, अपीलीय विचारण न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का कर्तव्य दिया गया है और वह अकेले निचली विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन पर अपील का निपटारा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है, विशेष रूप से जब अपील पहले ही स्वीकार कर ली गई हो और अंतिम सुनवाई के लिए रखी गई हो।इस तरह की प्रक्रिया को बनाए रखना किसी अभियुक्त के अपील करने के मूल्यवान अधिकार का हनन होगा, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।"21. इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी हमारे मन में पर्याप्त संदेह पैदा करने में सक्षम रहा है कि वह धारा 84 आई. पी. सी. के तहत अपवाद के लाभ का हकदार है क्योंकि घटना के समय उसकी चिकित्सा स्थिति की प्रधानता, जैसा कि अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य से पता चलता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे स्थापित किया है।इसलिए अपीलार्थी संदेह के लाभ और परिणामस्वरूप बरी होने का हकदार है।अपील की अनुमति है।उसे हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

सी.

डी.

ई.

22. अपीलार्थी के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर हमारे निष्कर्षों और निष्कर्षों को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 335 या 339 के तहत आगे के निर्देश देना आवश्यक माना जाता है, ताकि अपीलार्थी को अनियमितताओं का सामना न करना पड़े और भारत के

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन के अधिकार के अनुरूप उचित देखभाल और समर्थन प्राप्त न हो।इस आदेश की एक प्रति आवश्यक लोगों के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अकोला को भेजी जाए।

एफ.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.